FORM II

(for projects other than linear projects)

Government oOf Himachal Pradesh

Office of the District Collector, Mandi

No. MND/SR/LRC/2015

Dated Mandi, the 18/01 2016

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF),Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August,2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **09-02-03 bighas** of forest land proposed to be diverted in favour of **Bhagwati Hydro Power Project for the construction of Bhagwati Hydro Project** in Mandi District falls within jurisdiction of villages Pichhala Chaira and Kanda, in Tehsil Karsog.

It is further certified that.

(a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 09-02-03 bighas** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s),Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.

(b) The proposal of such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA has been carried out,and They have given their consent to the proposed Diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabhas of said Tehsils are enclosed as annexure V.

(d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there is quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabha present.

(e) There is no PTG and PAC in the jurisdiction of Mandi District.

(f) The Rights of the Premitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities, where applicable has been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

(Sandeep Kadam,IAS)
District Collector,
Mandi Distt. Mandi

Attested

जिला राजस्व अधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

Proceeding of the meeting of the District Level Forest Right Committee held under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Mandi on 06.06.2016.

The following were present in the meeting:

1. **Addl. District Magistrate, Mandi** — **Member Secretary**
2. **Sub Divisional Officer (C) Sundernagar**
3. **Sub Divisional Officer (C) Sadar**
4. **Sub Divisional Officer (C) Karsog**
5. **Sub Divisional Officer (C) Gohar**
6. **Sub Divisional Officer (C) Padhar**
7. **Sub Divisional Officer (C) Jogindernagar**
8. **Sub Divisional Officer (C) Dharampur**
9. **Divisional Forest Officer, Mandi** — **Member**
10. **Divisional Forest Officer, Nachan** — **Member**
11. **District Revenue Officer, Mandi**
12. **Tehsildar Sarkaghat**
11. **R.O Jogindernagar**
12. **Sant Ram Thakur, Zila Parishad Member, Balichowki** — **Member**
13. **Pradeep Kumar, Zila Parishad Member, Ward No. 30 Behal** — **Member**
14. **Rajni Nail, Zila Parishad Member** — **Member**

At the very outset the Chairman-cum Deputy Commissioner Mandi, welcomed all the participants. The Member Secretary with the permission of the Chair started the meeting.

Following proposal under FRA were put for discussion:-Following proposal under FRA were put for discussion:-

Sr. No.	Sub Division	Name of Scheme
1	Sadar	**0.80 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Panchyati Raj department for the construction of Panchayat Ghar** in Mandi District falls within jurisdiction of village Jhiri
2		**24 bighas** of forest land proposed to be diverted in favour of **Forest department for the construction of Balhda ground** in Mandi District falls within jurisdiction of village Chaloh
3		**21-6-1 bighas** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of College** in Mandi District falls within jurisdiction of village Kotadhar
4		**0.0162 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Panchyati Raj department for the construction of Panchayat Bhawan** in Mandi District falls within jurisdiction of village Ardha
5		**4-0-0 bighas** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of building of Government**

जिला राजस्व अधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

		Primary School Chandoh in Mandi District falls within jurisdiction of village Chandeh and DPF Dalikar
6		0.80 **hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Panchyati Raj department for the construction of Panchayat Ghar** in Mandi District falls within jurisdiction of village Jhiri
7		**0.8902 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **HPPWD department for the construction of Helipad at Prashar** in Mandi District falls within jurisdiction of village Kalang
8		**51-06-13 bigha** of forest land proposed to be diverted in favour of **Technical Education department for the construction of Research Park** in Mandi District falls within jurisdiction of village Kamand
9		**0.38.3 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Educaton department for the construction of building of Government Middle School Lagdhar** in Mandi District falls within jurisdiction of village Lagdhar
10		**2 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of building of Government Middle School, Tikkar** in Mandi District falls within jurisdiction of villages Tikkar
11		**2 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Veterinary department for the construction of building of Veterinary Hospital** in Mandi District falls within jurisdiction of village Kathiyari, in Tehsil Sadar
12		**2 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Ayurvedic department for the construction of building of Ayurvedic Dispensary** in Mandi District falls within jurisdiction of village Kathiyari, in Tehsil Sadar
13		**2 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of building of Government Primary School, Tikkar Panihar** in Mandi District falls within jurisdiction of village Kathiyari, in Tehsil Sadar
14		**1 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Panchyati Raj department for the construction of Gosadan** in Mandi District falls within jurisdiction of village Farsh, in Tehsil Sadar
1	**Dharampur**	**0-39-23 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Ruma Stone Crusher for the construction of Crusher** in Mandi District falls within jurisdiction of village Longni
1	**Sarkaghat**	**0-10-31 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Urban Development department for the construction of Car Parking** in Mandi District falls within jurisdiction of Nagar Panchayat Sarkaghat
2		**0-82-89 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Technical Education department for the construction of building of Training Institute** in Mandi District falls within jurisdiction of Ratoli village
3		**0-45-0 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Urban Development department for the construction of Kabristan (Cemetery)**

जिला राजस्व अधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

4		in Mandi District falls within jurisdiction of Nagar Panchayat Sarkaghat
5		**0-96-48 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Panchyati Raj department for the construction of Gosadan** in Mandi District falls within jurisdiction of village Saloa Bachwan
1	Gohar	**0-57-93 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Panchyati Raj department for the construction of Gosadan** in Mandi District falls within jurisdiction of village Hansal
2		**1-11-16 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of Government Senior Secondary School Shankerdehra** in Mandi District falls within jurisdiction of village Sanoi
3		**0.9744 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of Government Senior Secondary School Somnachni** in Mandi District falls within jurisdiction of village Somgaad
4		**2.6444 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of Government Degree College, Bassa** in Mandi District falls within jurisdiction of village Bassa and Kuhtehad
1	Karsog	**0.2509 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education department for the construction of building of School** in Mandi District falls within jurisdiction of village Murah
2		**09-02-03 bighas** of forest land proposed to be diverted in favour of **Bhagwati Hydro Power Project for the construction of Bhagwati Hydro Project** in Mandi District falls within jurisdiction of villages Pichhala Chaira and Kanda
1	Padhar	**28-03-06 bighas** of forest land proposed to be diverted in favour of **Karsog Vally Hydro Power Project for the construction of Annu Bhalan Hydro Power Project** in Mandi District falls within jurisdiction of villages Sarour
2		**0.1244 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uhl Barah Jal Vidyut Pariyojna for the construction of 33 KVA Transmission line** in Mandi District falls within jurisdiction of villages Cheling
3		**0.6992 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uhl Barah Jal Vidyut Pariyojna for the construction of 33 KVA Transmission line** in Mandi District falls within jurisdiction of villages Dallosa
		2.3643 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Uhl Barah Jal Vidyut Pariyojna for the construction of 33 KVA Transmission line** in Mandi District falls within jurisdiction of villages Jhiban

जिला ... अधिकारी
मंडी जिला ... (हि.प्र.)

1	Sundernagar	1685.00 square meter of forest land proposed to be diverted in favour of **Health department for the construction of Modern Mortuary** in Mandi District falls within jurisdiction of Nagar Parishad Sundernagar
1	Jogindernagar	06-11-08 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of **Beas Valley Power Corporation Limited for the construction of protection** wall in Mandi District falls within jurisdiction of Khudar village

The detailed discussion and scrutiny of the proposal and documents placed on record revealed that no claim under FRA 2006 against the above said proposals have been received within stipulated period. The required documents which include certificate of FRC, Gram Sabha SDLC are enclosed with each proposal. Therefore, under the prevailing conditions the District Level Committee recommends for the issuance of FRA certificate for above proposals.

Deputy Commissioner,
Mandi District, Mandi

जिला राजस्व अधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

5

Annexure – III

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) KARSOG, DISTT. MANDI (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the Sub Division Level Committee of Karsog sub DIVISION constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr. Vivek Chauhan, HPAS, SDO (Civil), Karsog on dated 17-05-2016 at 11:00 AM, at Karsog in which the applications(s) of the applicant(s) of Muhal **Kandha**, claiming rights in Muhal **Kandha** forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the **Kandha** Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Leve Committee : -

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest	Detail of Forest Rights
1.	-NA-		

Claims of the following applicants were not found in order and rejected: -

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest	Detail of Forest Rights
1	-NA-		

As informed by **Kandha** Gram Sabha, no application was received claiming rights in Muhal **Kandha** Forest area.

Further, it was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under Section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, national Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place Karsog
Date 17-05-2016

Attested to be a true copy.
Sd/-
खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड ...

Sd/-
Sub Divisional Office (Civil)
Cum- Chairman
SDLC, Karsog, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure – III

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) KARSOG, DISTT. MANDI (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the Sub Division Level Committee of Karsog sub DIVISION constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr. Vivek Chauhan, HPAS, SDO (Civil), Karsog on dated 17-05-2016 at 11:00 AM, at Karsog in which the applications(s) of the applicant(s) of Muhal **Gajeha**, claiming rights in Muhal **Gajeha, Pichhlia Chaira, Johdi Bai and Kutal Nala** forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the **Gajeha** Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Leve Committee : -

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest	Detail of Forest Rights
1.	-----NA-----		

Claims of the following applicants were not found in order and rejected: -

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest	Detail of Forest Rights
1.	-----NA-----		

As informed by **Gajeha** Gram Sabha, no application was received claiming rights in Muhal **Gajeha** Forest area.

Further, it was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under Section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, national Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place : Karsog
Date : 17-05-2016 Attested to be a true copy

Sd/-

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड करसोग

Sd/-

Sub Divisional Office (Civil)
Cum- Chairman
SDLC, Karsog, Distt. Mandi (H.P.)

दिनांक 17.05.2016 को श्री विवेक चौहान, उप मण्डल अधिकारी (ना0) करसोग की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के सम्बन्ध में आयोजित उप मण्डल स्तर समिति करसोग की बैठक की कार्यवाही

बैठक में समिति के निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया:-

क) श्री एल0आर0हरनोट ए0सी0एफ0 वन मण्डल करसोग।
ख) श्री दलीप मैहता गैर सरकारी सदस्य।
ग) श्रीमती सत्या देवी गैर सरकारी सदस्या।
घ) श्री बेसर राम गैर सरकारी सदस्य।
ङ) श्री रविन्द्र सिंह नायब तहसीलदार करसोग।

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्न माननीय अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे:-

क) श्री प्रदीप ठाकुर अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0विभाग मण्डल करसोग।
ख) श्री जीवन सिंह नेगी तहसीलदार करसोग।
ग) श्री जगत राम खण्ड विकासअधिकारी करसोग।
घ) श्री जोगिन्दर शर्मा पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड करसोग।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया तदोपरान्त सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विभिन्न विभागों /कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित वन भूमि के मामले उप मण्डल स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ पेश किए जिन्हें जिला स्तरीय समिति को सिफारिश सहित प्रेषित किया जाना है। उपरोक्त वर्णित मामले जो उप मण्डल स्तरीय समिति के समक्ष पेश हुए तथा इन मामलों मे निर्धारित प्रपत्र-III पर सिफारिश सहित जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किए जाने हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	नाम प्रयोजन/कार्य	नाम विभाग/ कार्यान्वयन अभिकरण	नाम ग्राम सभा	प्रस्तावित रकबा बीघों में	प्रस्ताव संख्या/दिनांक	गणपूर्ति	विवरण
1	सडक निर्माण कांहणू से परान्जन	लोक निर्माण विभाग	काहणू/69	5.08.06	1/12.10.15	57/71	
			DPF रेष्टाधार/578	8.18.18	1/30.04.16	156/170	
			बाग/70	1.14.08	1/10.10.15	36/49	
			दुरकणू/71	3.16.19	1/8.07.15	55/65	
			जवैहल/64	2.05.17	1/10.07.15	71/87	
			योग	22.04.08			
2.	सडक निर्माण चिठाधारटू से ठण्डापानी वाया कनेरी	लोक निर्माण विभाग	कनेरी/223	0.09.13	2/8.07.14	53/96	
			DPF कनेरी/224	22.03.03	2/8.07.14	53/96	
			योग	22.12.16			
3	सडक निर्माण धरमौड से शाकरा वाया बगशाड	लोक निर्माण विभाग	DPF धरमौड/159	1.04.08	2/25.02.15	60/66	
			बौहन्दा/164	1.17.01	3/25.02.15	24/26	
			दवाश/163	2.08.12	2/26.02.15	43/73	
			DPF मण्डप/161	7.15.07	2/7.05.14	102/185	
			DPF कुम्हारू/153	2.02.00	2/7.05.14	36/63	

			DPF थल्टू/150	17.01.01	2/7.05.14	36/63	
			मडीयूणी/149	1.18.14	2/7.05.14	194/349	
			योग	34.07.03			
4	सडक निर्माण बखरूण्डा सुरसी काणी-मन्दलाह ममेल	लोक निर्माण विभाग	सानणा/466	12.19.07	3/19.08.15	71/119	
			योग	12.19.17			
5	सडक निर्माण ममेल से मैहण्डी	लोक निर्माण विभाग	DPF महादेव बनौणी/465	8.02.04	1/19.08.15	71/119	
			DPF पराला धारठू/429	9.14.12	1/10.11.14	42/60	
			योग	17.16.16			
6	सडक निर्माण नांज से भमाला	लोक निर्माण विभाग	नांज/520	12.08.15	1/25.01.15	74/120	
			DPF ममली/522	10.06.05	2/27.12.15	32/46	
			ममली/524	3.01.18	2/27.12.15	32/46	
			भमाला/521	12.01.19	2/27.12.15	65/92	
			योग	37.18.17			
7	सडक निर्माण सनोटी से घवास	लोक निर्माण विभाग	DPF करयाणी/244	0.19.10	2/7.05.14	39/56	
			खडौणी/243	2.04.07	2/9.11.14	36/68	
			DPF चान्दो/341	4.07.14	2/15.11.14	146/280	
			चुराग/242	0.18.07	2/15.11.14	146/280	
			घवास/371	1.00.07	2/27.04.14	52/73	
			DPF झाओ पराला/372	10.07.18	2/27.04.14	52/73	
			योग	19.18.03			
8	उठाऊ पेयजल योजना चखाणा से तुमण	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	तुमण/593	0.00.15	2/4.05.14	117/202	
			बखौहण/589	1.00.07	2/25.09.15	48/74	
			DPF जखोहल/	2.13.03	2/9.05.15	62/102	
			योग	3.14.05			
9	उठाऊ पेयजल योजना चैरा खड से धमून	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	जौग/439	2.18.13	2/9.07.14	45/80	
			पिछला चैरा/327 कोट/326	2.12.07 1-05-06	2/26.11.15 2/15-06-14	130/220 93/160	
			योग	~~5.11.00~~ 6-16-8			
10	अणू भलाण विद्युत परियोजना	करसोग वैली हाइड्रो प्रोजैक्ट	सरोर/121	28.03.06	2/24.03.15	16/28	
			योग	28.03.06			
11	भगवती विद्युत परियोजना	भगवती पावर प्रोजैक्ट करसोग	पिछला चैरा/327	3.01.03	1/26.11.15	130/220	
			काण्डा/328	6.01.00	1/20.11.15	145/288	
			योग	9.02.03			

बैठक में खण्ड विकास अधिकारी करसोग ने समिति (एस0डी0एल0सी0) को अवगत करवाया कि उप मण्डल करसोग में कुल 427 महालात में वन अधिकार समितियों का गठन हो चुका है जिनमें कोई भी दावे प्राप्त नहीं हुए। उक्त 427 वन अधिकार समितियों में से 66 वन अधिकार समितियों के दस्तावेज अलग से जिला स्तरीय समिति को भेजने का बैठक में निर्णय लिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा बैठक में बताया गया कि बन्दोवस्त के दौरान तैयार रिकार्ड (वाजिबें उल अर्ज) में स्थानीय जनता के अधिकार वर्णित हैं तथा बैठक में सहायक अरण्यपाल वन मण्डल करसोग द्वारा बताया गया कि वन बन्दोवस्त रिपोर्ट में भी स्थानीय जनता के अधिकार वर्णित हैं। इस प्रकार समिति द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अर्न्तगत गांववासियों के बन्दोवस्त (भू राजस्व व वन) की रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वन अधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को उप मण्डल स्तरीय समिति करसोग द्वारा मान्य किया गया।

अतः बैठक में ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों पर गहनता से विस्तृत चर्चा के उपरान्त समस्त सदस्यों ने सर्व सम्मति से फैसला लिया कि उपरोक्त सभी मामलों को जिला स्तरीय समिति को अग्रिम कार्यवाही हेतू भेजा जाना चाहिए। अतः अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव को निर्देश दिए कि वह समस्त मामलों की सूचि संस्तुति सहित जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करे। अतः उपरोक्त सभी मामलों के मूल कागजात Annexure I, II, III & V, सम्बन्धित मुहाल सभाओं के प्रस्तावों की प्रतियों सहित जिला स्तरीय समिति को मन्जूरी हेतू सेवा में प्रेषित हैं।

उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं अध्यक्ष,
उप मण्डल स्तर समिति, करसोग
(एफ0आर0ए0,2006)

पृष्ठांकन संख्या : KSG-SDLC-FRA/2014- 511-20 दिनांक 19-05-2016

प्रतिलिपि सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. उपायुक्त, मण्डी जिला मण्डी ।
2. उप मण्डल अधिकारी (ना0) करसोग ।
3. अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 मण्डल करसोग।
4. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल करसोग।
5. खण्ड विकास अधिकारी करसोग।
6. प्रबन्धक भगवती पावर प्रोजैक्ट करसोग व प्रबन्धक करसोग वैली हाईडल प्रोजैक्ट प्राईविट लि0 ।
7. समस्त सदस्य/सदस्या उप मण्डल स्तर समिति करसोग।
8. कार्यालय नस्ति।

नायब तहसीलदार एवं सदस्य सचिव,
उप मण्डल स्तर समिति, करसोग
(एफ0आर0ए0,2006)

ANNEXURE-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा: ग्रोहेरा व पिड़ला चैरा

विकास खंड करसोग जिला मंडी (हि० प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 130/220

दिनांक 26-11-2015

प्रस्ताव संख्या 1

विषय: M/S भागवती हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट करसोग / संस्था को सड़क, विद्युत लाईन, प्रोजेक्ट स्टोर रूम ... के निर्माण हेतु मुहाल ग्रोहेरा व पिड़ला चैरा .... जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.258 Hect 3-1-3 बीघा वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ग्रोहेरा व पिड़ला चैरा की बैठक आज दिनांक 26-11-2015 को 11.00 बजे स्थान ग्रोहेरा में की गई, जिसमें M/S भागवती हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट करसोग, संस्था को सड़क, विद्युत लाईन, प्रोजेक्ट स्टोर रूम के निर्माण हेतु मुहाल ग्रोहेरा व पिड़ला चैरा जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.258 Hect 3-1-3 बीघा वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से ये निर्णय लिया कि ये ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से ये पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी कि जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.258 Hect 3-1-3 बीघा वन भूमि को M/S भागवती हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट करसोग के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्रोहेरा व पिड़ला चैरा की सहमति दी जाती है।

स्थान: ग्रोहेरा

दिनांक 26-11-15

[signature]

[illegible] ग्राम पंचायत [illegible] (हि० प्र०) चैरा

[signature]

जिला [illegible] अधिकारी

मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

46

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन अधिकार अधिनियम कमेटी मौजा पिपरूल बैंद का गठन दिनांक 27/1/2014 को हुआ है । कमेटी द्वारा दिनांक 27/1/2014 को अपने क्षेत्र की समस्त जनता से मुहाल पिपरूल बैंद की वन भूमि को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत तथा सामुहिक दावे व आक्षेप मांगे गए थे । 90 दिनों की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त मुहाल पिपरूल बैंद में शून्य दावे / आक्षेप प्राप्त हुए है ।

अतः प्रमाण पत्र आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

दावे / आक्षेप = शून्य

अध्यक्ष वन अधिकार समिति
[illegible]

प्रमाणित

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख. [illegible] जिला मण्डी (हि.प्र.)

वन अधिकार समिति [illegible] + [illegible] चौंरी
ग्राम पंचायत ......[illegible]......

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ......[illegible]...... के अन्तर्गत महाल [illegible] चौंरी .... में वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 27/11/2015 को किया जा चुका है। अतः इस महाल के अन्तर्गत वन अधिकार से सम्बन्धित कोई व्यक्तिगत व सामूहिक आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो दिनांक 90 दिन के भीतर पंचायत सचिव के पास प्रस्तुत करें।

प्रमाणित
[signature]

[signature]
सचिव ग्राम पंचायत [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible] (हि॰ प्र॰)
विकास खण्ड करसोग

Annexure-I

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा– अजोहा, कौडी नेग, कुल्ला माल्ला व सिरदला चैरा

ग्राम पंचायत– कौडी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या I

दिनांक 26.5.2014

वन अधिकार समिति मुहाल सभा अजोहा, कौडी नेग, कुल्ला माल्ला व सिरदला चैरा की बैठक आज दिनांक 26-05-2014 को 11.00 बजे स्थान अजोहा में श्री/श्रीमति [illegible] की अध्यक्षता में की गई जिसमें अजोहा, कौडी नेग, कुल्ला माल्ला व सिरदला चैरा मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत वन अधिकारो के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई–

कुल प्राप्त आवेदन– शून्य

सही दावों का ब्यौरा:–

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	—	—	—

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:–

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
—	—

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

अजोहा, कौडी नेग, कुल्ला माल्ला व सिरदला चैरा या मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान

दिनांक

सचिव [signature]
वन अधिकार समिति

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा–
ग्राम पंचायत–

ग्रामवासी/ग्राम्य वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

[signature]

[signature]

जिला [illegible] अधिकारी
कुल्लू जिला [illegible] (हि.प्र.)

[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत कौडी
[illegible] (हि.प्र.)

Annexure-II

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम- [illegible]
ग्राम पंचायत का नाम- [illegible]
मुहाल सभा सदस्य संख्या- 22
में उपस्थित सदस्य संख्या- 13

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 26.11.2015

मुहाल सभा [illegible] की बैठक आज दिनांक 26.11.2011 को 11.30 बजे स्थान [illegible] में श्री/श्रीमति [illegible] की अध्यक्षता में की गई। उपरोक्त मुहाल सभा की कार्यवाही निम्न प्रकार से है :- जिसमें [illegible] मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए दावेदारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई –

कुल प्राप्त आवेदन– NIL

सही दावों का ब्यौरा–

क्रम संख्या	पात्र दावेदारों का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	NIL		

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र दावेदारों का नाम
	NIL

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल [illegible] में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान______
दिनांक______

(प्रधान/ सचिव एवं सहायक सचिव)
मुहाल सभा– [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]

Attested

जिला कल्याण अधिकारी
[illegible] (हि॰प्र॰)

सचिव,
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible] (हि॰ प्र॰)

वन अधिकार [illegible] कमेटी [illegible] का [illegible]

(प्रस्ताव [illegible])

DATE ______

आज दिनांक [illegible] को मुहाल [illegible] की वन अधिकार कमेटी की ग्राम सभा बैठक वन अधिकार कमेटी अध्यक्ष श्री [illegible] की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल [illegible] 30/[illegible] सदस्य [illegible] निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव नं० 1 [illegible] हाईडल प्रोजेक्ट (हिम ऊर्जा) के [illegible] और अनापत्ति प्रस्ताव।

बैठक में वन अधिकार कमेटी अध्यक्ष [illegible] ने प्रस्ताव रखा कि मुहाल [illegible] में हिम ऊर्जा [illegible] हाईडल प्रोजेक्ट ([illegible] Project) लगाया जा रहा है इस परियोजना में मुहाल [illegible] के अन्तर्गत वन भूमि में सड़क, पाईप लाईन, बिजली व [illegible] इत्यादि का निर्माण होना है जिसके लिए वन अधिकार कमेटी से अनापत्ति प्रस्ताव की आवश्यकता है वन अधिकार कमेटी की बैठक में पूर्ण चर्चा की गई है कि इस परियोजना के [illegible] मुहाल [illegible] के अन्तर्गत जो भी वन भूमि आती है वन अधिकार कमेटी उपरोक्त परियोजना [illegible] हेतु अनापत्ति प्रस्ताव [illegible] पारित करती है। अतः अनापत्ति प्रस्ताव [illegible] को आगामी कार्यवाही हेतु [illegible] भेजा दिया जाता है। [illegible]

क्र०	नाम व पता	पिता का नाम	गाँव	हस्ताक्षर
1	श्री [illegible]लाल	श्री डोला राम	[illegible]	[illegible]
2.	" दीप राम	[illegible] राम	[illegible]	[illegible] Ram
3.	" परसू राम	" [illegible] राम	[illegible]	परसू राम
4.	" [illegible]	[illegible] राम	[illegible]	[illegible]
5.	" परस राम	[illegible] राम	[illegible]	परस राम
6.	" [illegible] राम	[illegible] चन्द	[illegible]	[illegible] राम
7.	" [illegible] राम	[illegible] चन्द	गरपाली	[illegible] राम
8.	" नील [illegible]	[illegible]	गरपाली	[illegible]
9.	" [illegible] राम	[illegible] राम	[illegible]	[illegible] राम
10.	" [illegible] लाल	S/o. दौलत राम	[illegible]	[illegible]
11.	" [illegible] लाल	S/o राम सिंह	[illegible]	[illegible]
12.	" मगन कुमार	S/o [illegible]	[illegible]	[illegible] Kumar
13.	" [illegible]	S/o [illegible]	गरपाली	[illegible]
14.	" [illegible]	[illegible] राम	गरपाली	[illegible]
15.	" [illegible] लाल	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	" [illegible] सिंह	S/o [illegible] राम	गरपाली	[illegible]

DATE

क्र०सं०	नाम व पता	पिता का नाम	गाँव	हस्ताक्षर
17.	लोकचन्द	S/o गोविन्द	गरपाली	लोकचन्द
18.	लीलाधर शर्मा	श्री [illegible]राम	गरपाला	[illegible]
19.	श्रीमती निर्मला	श्री हुकम सिंह	गरपाला	निर्मला
20.	रामप्यारी	W/o लीलाधर	गरपाला	रामप्यारी
21.	डोलाराम यादव	[illegible]	गरपाला	डोलाराम
22.	आशा देवी	W/o [illegible]चन्द	गरपाला	आशा देवी
23.	[illegible]चन्द	S/o [illegible]	गरपाला	[illegible]
24.	जगतराम	S/o [illegible] राम	सलाना	जगतराम
25.	[illegible]लाल	S/o [illegible]चन्द	गरपाली	[illegible]
26.	[illegible]राज शर्मा	S/o [illegible] दत्त	गरपाला	[illegible]
27.	[illegible] दत्त शर्मा	S/o [illegible]	गरपाला	[illegible]
28.	[illegible] देवी	W/o [illegible]देव	डोगरी	[illegible] देवी
29.	शेलु देवी	W/o बालकराम	डोगरी	शेलु देवी
30.	बालकराम	S/o [illegible]	डोगरी	बालकराम
31.	[illegible]	S/o रामसिंह	[illegible]	[illegible]
32.	पुनि[illegible]	S/o प्रेमदास	सलाना	पुनि[illegible]
33.	प्यारेलाल	S/o [illegible]राम	सलाना	प्यारेलाल
34.	प्रेमदास	S/o [illegible]	[illegible]	प्रेमदास
35.	चन्द्रकला	W/o पुनि[illegible]	सलाना	चन्द्रकला
36.	सु[illegible] देवी	W/o प्यारेलाल	सलाना	सु[illegible]
37.	गीता देवी	W/o [illegible]राम	सलाना	गीता देवी
38.	चुनीलाल	S/o जगतराम	सलाना	Chuni Lal
39.	[illegible]	W/o [illegible]	सलाना	[illegible]
40.	[illegible]	S/o [illegible]	सलाना	[illegible]
41.	निधिका	D/o अमीचन्द	गजेहा	Nidhika
42.	सुमित्रा देवी	W/o [illegible]	कैहल	सुमित्रा
43.	पदमराम	S/o [illegible]सिंह	कैहल	Padamram
44.	Bittu Devi	W/o पदमराम	कैहल	Bittu Devi
45.	[illegible]	W/o [illegible]कुमार	[illegible]	[illegible] kumar
46.	राजकुमारी	W/o अमीचन्द	गजेहा	राजकुमारी
47.	[illegible] देवी	W/o [illegible]चन्द	गजेहा	[illegible] देवी
48.	[illegible] देवी	W/o [illegible]	गजेहा	[illegible]देवी
49.	[illegible] कुमारी	W/o [illegible]चन्द	गजेहा	[illegible]
50.	[illegible] देवी	W/o [illegible]चन्द	गजेहा	[illegible]

क्रम	नाम व पूरा	पिता का नाम	गाँव	DATE	हस्ताक्षर
1.	[illegible] देवी	w/o Gulab Singh	मझेरा		Kanta Devi
2.	कुन्ती देवी	w/o [illegible]	मझेरा		कुन्ती देवी
3.	शीता देवी	w/o [illegible]	मझेरा		Sita Devi
4.	[illegible] [illegible]	w/o [illegible]	मझेरा		Lila Devi
5.	परोलम देवी	w/o [illegible]	मझेरा		[illegible]
6.	[illegible] देवी	w/o [illegible]	मझेरा		[illegible]
7.	[illegible]	s/o [illegible]	मझेरा		Ghan Shyam
8.	[illegible] टेकचन्द	s/o [illegible]	कन्दरी		Tekchand
9.	[illegible] राम	s/o [illegible]	कन्दरी		[illegible]
0.	[illegible] राम	s/o [illegible] राम	कन्दरी		[illegible]
1.	[illegible]	s/o [illegible]	कुन्दरी		[illegible]
2	चेतराम	s/o [illegible]	मझेरा		[illegible]
3	[illegible] देवी	w/o [illegible]	मझेरा		[illegible]
4.	मीरा देवी	w/o चेतराम	मझेरा		मीरा देवी
5.	अनिता देवी	w/o [illegible]	मझेरा		Anita
6.	[illegible] देवी	w/o [illegible]	मझेरा		Bimla Devi
7.	[illegible] देवी	w/o [illegible]	मझेरा		Sunita Devi
8	[illegible] देवी	w/o [illegible]	मझेरा		[illegible]
9	[illegible] देवी	w/o [illegible]	मझेरा		[illegible]
70	[illegible] देवी	w/o [illegible]	मझेरा		[illegible]
71.	[illegible] राज	s/o [illegible] सिंह	कुन्दरी		[illegible] राज
72.	[illegible]	s/o [illegible] राम	कुन्दरी		Togadhan
73.	[illegible]	s/o [illegible]	कुन्दरी		[illegible]
74.	[illegible]	s/o [illegible]	कुन्दरी		[illegible]
75.	[illegible] देवी	w/o [illegible]	कुन्दरी		Neetu Devi
76.	[illegible]	s/o [illegible] चन्द	कमरौर		Lala Ram
77.	[illegible] सिंह	s/o [illegible]	कुन्दरी		[illegible]
78.	[illegible] राम	s/o [illegible]	कमरौर		[illegible]
79	आशा देवी	w/o [illegible]	कुन्दरी		आशा देवी
80	पार्वती देवी	[illegible]	कुन्दरी		पार्वती देवी
81	[illegible]	[illegible] चन्द	कुन्दरी		अंजु देवी
82	[illegible] देवी	[illegible] सिंह	कुन्दरी		[illegible] देवी
83	[illegible] ठाकुर	s/o [illegible] राम	[illegible]		[illegible]
84	[illegible]	w/o [illegible]	[illegible]		

	नाम पता	पिता/पति नाम	गांव	DATE
85	गौशान	S/o गौशान	सलावां	[redacted]
86	नूर मोई	S/o गौशान	सलावां	[redacted]
87	ईसराईल	S/o गौशान	सलावां	[illegible]
88	मुकेश	S/o स्व. श्री [illegible]		[illegible]
89	अनु शर्मा	W/o श्री [illegible]	गरपाला	[illegible]
90	ईश्वर राम	S/o जगत राम	सलावां	[illegible]
91	[illegible] कुमारी	W/o सतीश चन्द	डेबारी	[illegible] कुमारी
92	सतीश चन्द	S/o बालक राम	डेबारी	सतीश चन्द
93	लाल चन्द	S/o [illegible]	गदुही	[illegible]
94	शान्ता देवी	W/o रमेश चन्द	गरपाला	शान्ता देवी
95	रमेश चन्द	S/o [illegible]	गरपाला	[illegible]
96	शान्ती देवी	W/o स्व. श्री [illegible]	गरपाला	शान्ती देवी
97	किशोर कुमार	S/o श्री [illegible]	गरपाला	[illegible]
98	बुद्धि प्रकाश	S/o श्री [illegible]	गरपाला	[illegible]
99	[illegible]	S/o श्री [illegible]	गरपाला	[illegible]
100	मीनू कुमारी	W/o श्री [illegible]	गरपाला	[illegible]
101	दुर्गा देवी	W/o स्व. श्री [illegible]	गरपाला	[illegible]
102	डिम्पल कुमारी	D/o स्व. श्री [illegible]	गरपाला	[illegible]
103	ऊमी देवी	W/o स्व. श्री [illegible]	गरपाला	ऊमी
104	दुनी चन्द	S/o दुना राम	गरपाला	[illegible]
105	अमर चन्द	S/o हरिशरण	सलावां	[illegible]
106	हरिशरण	S/o [illegible] राम	सलावां	[illegible]
107	[illegible]	W/o हरिशरण	सलावां	[illegible]
108	[illegible]	D/o [illegible]	गरपाला	[illegible]
109	गुजर	S/o [illegible]	गदुही	गुजर
110	[illegible]	S/o [illegible]	[illegible]	[illegible]
111	ईशराईल	S/o [illegible]	गरपाला	ईशराईल
112	शान्ता देवी	W/o [illegible] राम	[illegible]	शान्ता देवी
113	नीला राम	S/o श्री [illegible] राम	गरपाला	नीलाराम
114	राजकुमारी	W/o श्री नीलाराम	गरपाला	राजकुमारी
115	[illegible] राम	S/o [illegible] राम	गदुही	[illegible]
116	मेहर सिंह	S/o [illegible] राम	गदुही	[illegible]
117	[illegible]	W/o [illegible]	गदुही	[illegible]
118	गुलाब सिंह	S/o अमर सिंह	गदुही	[illegible]

DATE

119	वन्दना देवी	D/o [illegible] राम	गजेहा	Vandna Devi
120	[illegible] कुमार	श्री [illegible] राम	गजेहा	[illegible]
121	Anjna	Sh. Sher Singh	Gajeha	[illegible]
122	[illegible] देवी	W/o [illegible]	गजेहा	[illegible]
123	[illegible] चन्द	S/o [illegible] राम	गजेहा	Dharam [illegible]
124	[illegible]	S/o [illegible]	गजेहा	[illegible]
125	[illegible] चन्द	S/o [illegible]	गजेहा	[illegible]
126	[illegible]	S/o [illegible] राम	गजेहा	[illegible]
127	पार्वती देवी	W/o [illegible]	केहल	पार्वती देवी
128	Virender Kumar	S/o Leela Dutt	Kehal	V Kumar
129	[illegible] राम	S/o [illegible]	केहल	[illegible]
130	राम [illegible]	W/o [illegible] राम	केहल	राम [illegible]

प्रस्ताव संख्या [illegible] ग्राम गजेहा व पिड़ला चैंटा में [illegible] व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि को गैर वानिकी गतिविधियों के लिए परिवर्तित करने बारे — बैठक में अध्यक्ष श्री [illegible] राम जी ने [illegible] के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वन अधिकार समिति गजेहा व पिड़ला चैंटा के प्रस्ताव [illegible] दिनांक [illegible] को वन अधिकार समिति द्वारा [illegible] व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि को [illegible] और गैर वानिकी गतिविधियों के लिए परिवर्तित करने बारे ग्राम वासियों से [illegible] की गई व [illegible] रखे गए [illegible] पूर्ण हो चुकी है तथा वन अधिकार समिति के पास [illegible] प्राप्त हुए तथा वन अधिकार समिति ने [illegible] के पास [illegible] हम [illegible] हैं [illegible] गजेहा व पिड़ला चैंटा Annexure II [illegible] है।

आज [illegible] कार्य समाप्त की जाती है।

अतः आज की बैठक धन्यवाद सहित समाप्त की जाती है।

[illegible] Mehar [illegible] सचिव [illegible] [illegible] [illegible]

55

ANNEXURE-V

<u>अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006</u>

ग्राम सभा: [illegible]

विकास खंड करसोग जिला मंडी (हि0 प्र0)

<u>प्रतिलिपि प्रस्ताव</u>

दिनांक: 18/5/15

गणपूर्ति : 30/56

प्रस्ताव संख्या: I

विषय: M/s [illegible] हाईड्रो प्रोजेक्ट करसोग संस्था को पावर हाउस स्विचयार्ड [illegible] हेतु पाइप लाईन बिछाने हेतु के निर्माण हेतु मुहाल [illegible] जंगल / वन क्षेत्र मे प्रस्तावित [illegible] (0.484 Hac) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु ।

ग्राम सभा [illegible] की बैठक आज दिनांक 18/5/15 को 11 बजे स्थान [illegible] मे की गई, जिसमे M/s [illegible] हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट करसोग संस्था को पावर हाउस स्विचयार्ड [illegible] हेतु पाइप लाईन बिछाने के निर्माण हेतु मुहाल [illegible] जंगल / वन क्षेत्र मे प्रस्तावित [illegible] (0.484 Hac) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई ।

सभी ग्रामवासियों ने संबन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्धेश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से ये निर्णय लिया कि ये ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर सहमत है ।

ग्राम सभा की इस बैठक मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से ये पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारो के दावो के निपटारे संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी कि जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित [illegible] (0.484 Hac) वन भूमि को पावर हाउस [illegible] पाइप लाईन के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा [illegible] की सहमति दी जाती है ।

स्थान: [illegible]

दिनांक: 18/5/15

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता [illegible]

[illegible]

जिला [illegible] अधिकारी

[illegible] (हि.प्र.)

आज दिनांक 18/5/19 को वनाधिकार समिति कुठेड़ की बैठक श्री [illegible] प्रधान की अध्यक्षता में प्रातः 11 बजे उपस्थित होकर निम्न कार्यवाही अमल में लाई।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	गांव	मोबाइल नं.	पद	हस्ताक्षर
1	[illegible] लाल	S/o नैनदास	[illegible]	9816316541	प्रधान	[signature]
2	सोहन लाल	S/o पृथी चन्द	कुठेड़	9882213366	सचिव	[signature]
3	देवी सिंह	S/o कुंदन मणी	"	9817789971	सदस्य	[signature]
4	मुकेश कुमार	S/o पवन कुमार	"	9736970061	सदस्य	[signature]
5	द्रोपती देवी	W/o [illegible]	कुठेड़	9817075765	सदस्य	द्रोपती देवी
6	मुकन्द सिंह	S/o [illegible]	"	9816713658	सदस्य	[signature]
7	रमेश कुमार	S/o दौलत राम	कुठेड़	[illegible]	सदस्य	Ram[illegible]
8	[illegible] देवी	W/o [illegible]	"		सदस्य	[signature]
9	कविता	W/o मोहन लाल	कुठेड़	9816012077	सदस्य	[signature]
10	[illegible] देवी	W/o [illegible]	कुठेड़	9816229312	सदस्य	[signature]
11	[illegible]	S/o [illegible]	कुठेड़	[illegible]	सदस्य	[illegible]
12	[illegible]	S/o [illegible]	कुठेड़	9816[illegible]	सदस्य	[illegible]

प्रस्ताव सं. 1 | गत कार्यवाही की पुष्टि

बैठक में वनाधिकार समिति के समक्ष गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई जिसको सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया गया। सर्वसम्मति

प्रस्ताव पूरा अविलम्ब [illegible] जाता है।

हस्ता/- ह/

[signature]

Page No.: Date:

प्रस्ताव

प्रस्ताव सं० - 2

[illegible] के [illegible] का विषय [illegible]

बैठक में [illegible] [illegible] ग्राम [illegible]
से [illegible] जिसमें ग्राम [illegible] [illegible]
आवेदन [illegible] [illegible] [illegible] दिन [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
के [illegible] प्राप्त नहीं हुए अतः प्रस्ताव
पारित किया जाता है।

धन्यवाद

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन अधिकार अधिनियम कमेटी काण्डा का गठन दिनांक 15/11/14 को हुआ है । कमेटी द्वारा दिनांक 15/11/14 को अपने क्षेत्र की समस्त जनता से मुहाल काण्डा की वन भूमि को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत तथा सामुहिक दावे व आक्षेप मांगे गए थे । 90 दिनों की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त मुहाल काण्डा में शुन्य दावे/आक्षेप प्राप्त हुए हैं ।

अतः प्रमाण पत्र आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

हस्ताक्षर [illegible] सहित

वन अधिकार समिति काण्डा
ग्राम पंचायत बगैला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बगैला के अन्तर्गत महाल काण्डा में वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 5/1/15 को किया जा रहा है। अतः इस महाल के अन्तर्गत वन अधिकार से सम्बन्धित कोई व्यक्तिगत व सामूहिक आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो इस दिनांक से 90 दिन के भीतर पंचायत सचिव के पास प्रस्तुत करें।

पंचायत निरीक्षक
विकास खण्ड करसोग

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड करसोग

Annexure-I

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- [illegible]

ग्राम पंचायत- [illegible]

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.................

दिनांक 18/5/14

वन अधिकार समिति मुहाल सभा [illegible] की बैठक आज दिनांक 18/5/14 को 11 बजे स्थान [illegible] में श्री/श्रीमति [illegible] की अध्यक्षता में की गई जिसमें [illegible] मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के दावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन-	NIL

सही दावों का ब्यौरा

क्रम संख्या	पात्र दावे दारों का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	NIL	NIL	NIL

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु महाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र दावे दारों का नाम
1	NIL

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.... मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान [illegible]
दिनांक 18/5/14

सचिव [signature]
वन अधिकार समिति

अध्यक्ष [signature]
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा- 9817346541
ग्राम पंचायत- [illegible]

ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिनके द्वारा [illegible] में कोई अतिक्रमण के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति चाहिये।

Mo 9882213326

[signature]

जिला [illegible] अधिकारी
[illegible] (हि.प्र.)

Annexure-II

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल का नाम-	[illegible]
ग्राम पंचायत का नाम-	[illegible]
मुहाल सभा सदस्य संख्या	56
में उपस्थित सदस्य संख्या-	30

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

मुहाल सभा [illegible] दिनांक 13/5/15 को ________ की बैठक आज दिनांक 18/5/15 को स्थान ________ में श्री/श्रीमति [illegible] की अध्यक्षता में की गई। सभा की कार्यवाही निम्न प्रकार से है – जिसमें [illegible] मुहाल के अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अर्न्तगत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त दावेदारियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा [illegible] के उपरान्त निम्न कार्यवाही की गई –

सही दावों का ब्यौरा–

कुल प्राप्त आवेदन- Nil

क्रम संख्या	पात्र दावा कर्ता का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	Nil	Nil	Nil

तदानुसार यह मुहाल सभा इन दावों/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-मण्डल की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित दावों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-

क्रम संख्या	पात्र दावा कर्ता का नाम
1	Nil

तदानुसार मुहाल सभा इन दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल [illegible] में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान [illegible]

दिनांक 18/5/15

Attested

जिला [illegible] अधिकारी

[illegible]

सचिव

(पंचायत [illegible] सचिव)

मुहाल ग्राम

[illegible]

अध्यक्ष

(अध्यक्ष [illegible])

[illegible]

Page No. ____ Date: ____

आज दिनांक 18.10.19 [illegible]

[illegible] की ग्राम सभा [illegible]

[illegible] प्रधान जी की अध्यक्षता में

उपस्थित 80/[illegible] [illegible]

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर

	क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	पदनाम	मोबाइल	हस्ताक्षर
04-I	1	[illegible] पुत्र [illegible]	[illegible]	दौलत	प्रधान	9873546341	[signature]
	2	[illegible] पुत्र [illegible]		[illegible]	सचिव	9805[illegible]	[signature]
	3	[illegible] पुत्र	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]
	4	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[signature]
	5	[illegible] देवी	[illegible]	"	"	9817075765	[signature]
	6	[illegible] सिंह	[illegible]	"	"	9816713658	[signature]
	7	[illegible] कुमार	[illegible] राम	"	"	[illegible]	Ramkrishan
	8	[illegible] देवी	[illegible]	"	"		[signature]
	9	[illegible]	[illegible]	"	"	9816019077	[signature]
	10	[illegible] देवी	[illegible]	"	"	9816222[illegible]	[signature]
	11	[illegible]	[illegible]	"	"	82[illegible]	[signature]
	12	[illegible]	[illegible]	"	"	9816123674	[signature]
	13	[illegible]	[illegible] राम	[illegible]	"		[illegible] राम
	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"		[signature]
	15	[illegible] सिंह	[illegible] चन्द	[illegible]	"		[illegible] सिंह
	16	[illegible]	[illegible]		"		[signature]
	17	[illegible]	[illegible]	"	"		[thumb impression]
	18	[illegible]	[illegible]	"			[thumb impression]
	19	[illegible]	"	"			[thumb impression]

सचिव
ग्राम पं० [illegible] विकास खण्ड
[illegible] जिला [illegible]

20	हरी सिंह	हिरदाराम	बरोडा	9857695797	हरीसिंह
21	भीमादेवी	हीरालाल	काण्डा		भीमादेवी
22	किशनचन्द	श्रीराम	काण्डा	9816028097	[signature]
23	कर्मचन्द	श्रीराम	मण्डप		कर्मचन्द
24	रूपसिंह	"	"		रूपसिंह
25	अनीता देवी	हुक्मचन्द	बरोडा		अनीता देवी
26	हुक्मचन्द	धर्म सिंह	बरोडा		हुक्मचन्द
27	निर्मल कुमार	लालचन्द	काण्डा	8679130789	[signature]
28	चन्द्रमणी	कांशीराम	बरोडा		चन्द्रमणी
29	दीपक कुमार	चितराम	काण्डा	8894304401	[signature]
30	मोहनलाल	श्रीराम	काण्डा	9816019077	[signature]

इस प्रकार से उपरोक्त मुहाल (ग्राम काण्डा) के आश्रित सदस्यों की FRA के प्रावधान के तहत ... दिन की अवधि में ... प्राप्त नहीं हुए। अतः ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप-V जारी किया जाता है।

प्रस्ताव सं० 2 — M/s भारती इन्फ्राटेल प्रोजेक्ट टावर लगाने हेतु अनापत्ति प्रस्ताव-

बैठक में चर्चा किया गया ग्राम सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ... मुहाल काण्डा में M/s भारती ... प्रोजेक्ट

[signature]

Page No.

Date:

जाना चाहता हूँ। मैं पुलिस में
[illegible]
[illegible] के खिलाफ
[illegible] अधिकारी
बनना चाहता हूँ। जिसके लिए यह
प्रशिक्षण बहुत ही [illegible] की
आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] आवश्यकता
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
प्राप्त कर सकते हैं।

धन्यवाद।

सचिव
[illegible]

प्राचार्य
[illegible]